Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

सरोगेसी : महिला शोषण का कुचक्र

नरेन्द्र सिंह पंवार*

* शोधार्थी, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – लिंग आधारित भेदभावपूर्ण सामाहिक तंत्र में पुनरुत्पादन सम्बन्धी तकनीकी का दुरुपयोग न केवल बच्ची को कोख में ही मार डालने के लिए किया जा रहा है अपितु उसी कोख को किराये पर देकर मोटी कमाई करने का जरिया भी बना दिया गया है, जिसे सरोगेसी के नाम से जाना जाता है, सरोगेसी अर्थात् किराए की कोख, प्रजनन संबंधी इस प्रक्रिया में बच्चा चाहने वाले असमर्थ दम्पति अथवा एकल स्त्री व पुरुष आई.वी.एफ. (In Vitro fertilization) द्वारा अपने बच्चे का जन्म एक समझौते के तहत किसी अन्य महिला से करवाया जाता है, जिसके बदले में उसे पैसा दिया जाता है, यानी जैविकीय पेरेंट्स और अजैविकीय मां के बीच समझौते के तहत बच्चे का जन्म।

अगर कोई महिला अपने स्वास्थ्य संबंधी तमाम तरह की जोखिम उठाकर भी सरोगेट मां बनने जैसी कष्टप्रद व पीड़ादायक स्थिति को झेलते हुए महज चन्द पैसे के लिए किसी दूसरे के बच्चे को पैदा करने के लिए राजी हो जाती है तो उस महिला की मजबूरी की पराकाष्ठाको समझा जा सकता है। भारत में सरोगेसी उद्योग के फलने-फूलने का कारण गरीब महिलाओं की आसानी से उपलब्धता है। इससे हम महिला के दासत्व का भी अंदाज लगा सकते हैं। महिला की दमित स्थिति जो उसे सरोगेसी के धंधे में धकेलती है, एक प्रकार का न केवल सामाजिक कलंक है अपितु महिला सशक्तिकरण के सरकारी दावों के खोखलेपन को भी उजागर करती है। वस्तुत: जिस सामंती-पूंजीवादी तंत्र में हम रहते हैं उसमें हर चीज कमोडिटी है। महिला की कोख भी एक कमोडिटी है। बच्चा पैदा करने वाली एक उपयोगी मशीन। जिसके चलते तस्करी में लगे अपराधी वंचित-लाचार महिलाओं की कोख में भी बाजार तलाश रहे हैं और उनका यौन शोषण कर रहे हैं।

सरकार महिलाओं की उन आर्थिक मजबूरियों को जो उन्हें इस नारकीय धंधे में धकेलती है, को खत्म करने की जिम्मेदारी लेने के बजाय विधेयक द्वारा इस अमानवीय कृत्य का नियमनभर कर रही है। इस सम्बन्ध में हाल ही में सरोगेसी के बढ़ते व्यवसायीकरण पर पाबंदी लगाने की मनसा जाहिर करते हुए कैबिनेट में सरोगेसी बिल को मंजूरी दी है। किन्तु विधेयक की मूल भावना इसे रोकने की कम, विधमान पितृसत्तात्मक पारिवारिक ढांचे को बचाने की कवायद अधिक है। अपनी सत्तात्मक संरचना में यह प्रतिक्रियावादी व महिला विरोधी है। इस सामाजिक अपराध में मानवीय संवेदनाओं से जुड़े अनेक ऐसे भावात्मक पहलुओं की पूरी तरीके से अनदेखी की गई है जो अदृश्य हैं किन्तु जीवन को गहन रूप से प्रभावित करते हैं। हालांकि विधेयक ऊपरी तौर पर काफी आशाएं जगाता है। मसलन, इसके मुख्य प्रावधानों में न केवल अक्षम दंपति ही सरोगेसी करवा सकेंगे बल्कि केवल भारतीय दंपतियों के लिए ही सरोगेसी की अनुमति है। इस बिल में अविवाहित महिला पुरुष, सिंगल पैरेंट, समलैंगिक माता-पिता, लिव इन रिलेशनशिप्स में रहने वालों या शौकिया सरोगेसी की इजाजत नहीं दी गई है। इसके साथ ही कई ओर भी प्रावधान हैं जिनके तहत कौन महिला व कितनी बार सरोगेट बन सकती है, कौन क्लीनिक सरोगेसी करवा सकेगी, बच्चा चाहने वाले दम्पति की उम्र क्या होगी, सरोगेसी कौन करवा सकेंगे, इत्यादि।

बिल की भावना साफ दिखती है कि सरकार की नजर में सरोगेसी अपने आप में गलत व अनैतिक नहीं है इसलिए बिल के पूरे प्रावधान इसके दुरुपयोग को रोकने पर केन्द्रित हैं। मतलब साफ है यदि इसे मर्यादित ढंग से चलाया जाये तो सरकार की नजर में अनुचित नहीं है और मानव भ्रूण के इस कारोबार पर जिस तरह की बहस चलाई जा रही है वह सरोगेसी पर न होकर केवल व्यवसायिक सरोगेसी की रोक पर है। ये औपचारिक प्रयास एक तरह से रोग को मिटाने की बजाय उसके लक्षण से लड़ने जैसे हैं जिसमें मूल प्रश्न व समस्याओं को या तो बहस से बाहर कर दिया जाता है या फिर बहस को भटकाकर उन्हें पृष्ठभूमि में धकेल दिया जाता है। मूलप्रश्न है सरोगेसी क्यों चाहिए? यदि संतान सुख लेना ही इसका उद्देश्य होता तो हमारा सामाजिक तंत्र इसके दूसरे अवसर देता है। बच्चे को गोद लिया जा सकता है अथवा किसी अनाथ बच्चे को अपनाया जा सकता है। किन्तु सरोगेसी से बच्चा करने की प्राथमिकता दिखाती है कि यह महज संतान सुख का मुद्दा नहीं है। वस्तुत: यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था का पोषक व वाहक दोनों है जिसमें 'रक्त की शुद्धता' प्रधान रहती है जिसके मूल में 'मैं, मेरा और मेरे बाद कौन' के उत्तराधिकार का सामाजिक मनोविज्ञान प्रमुख रहता है जिसकी ऐतिहासिक जड़े हैं। 'निजी संपत्ति एवं सत्ता' आधारित समाजों में 'एक पत्नी विवाह' प्रणाली 'मेरा खून', 'मेरा वारिस' की जरूरत का उत्पाद है। मौजूदा बिल में भी वैवाहिक दम्पत्ति से इतर अन्य अविवाहित महिला पुरुष, सिंगल पैरेंट, होमोसेक्सुअल और लिव इन रिलेशनशिप्स में रहने वालों को सरोगेसी से वंचित कर देना भी पितृसत्तात्मक तंत्र को मजबूती प्रदान करना है। विवाह के ये स्वरूप परम्परागत पितृसत्तात्मक मातृत्व एवं वैवाहिक प्रणाली को चुनौती देते हैं। प्रस्ताव है कि विवाहित दम्पति के अलावा सरोगेसी जुर्म होगा जिसमें दोषी को 10 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बिल की पूरी भावना जैविकीय पैतृत्व पर जोर देती है। यह बिल 2008 के 'सहायक पुनरुत्पादन तकनीकी' (ART) बिल का ही नया रूप है जिसमें सरोगेट मदर व बच्चे के अधिकारों और सुरक्षा के सवालों की अनदेखी की गई और इस उद्योग में लगे लोगों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी। यह हास्यास्पद है कि इस बिल में भी इस अमानवीय अपराध में लिप्त न दलालों, न कमीशनखोरों, न डाक्टरों, न क्लीनिक व

स्पर्म बैंक चलने वालों के लिए कोई सजा है। सरोगेट बनने को मजबूर महिला के कोई अधिकार नहीं हैं। उसकी व उसके परिवार की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, न ही कोई बीमा का प्रावधान है। उल्टा पाबंद करते हैं कि सरोगेट सरोगेसी के दौरान अपने पति से न मिले। गर्भ के दौरान सरोगेट किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो, उसकी जान संकट में आ जाये, उसका गर्भपात हो जाये, डिलीवरी के दौरान उसकी मृत्यु हो जाये जैसे अनेकानेक मुद्दे हैं जिन पर स्पष्ट नीति व कानून की सख्त जरूरत है। राज्य सरोगेट मदर को न्यायोचित समझौता करने में कोई कानूनी हैं। सहायता नहीं करता है, यहां तक कि यदि उसे किये गयेसमझौते के अनुसार पैसा नहीं मिलता है तो उसे अदालत का दरवाजा खटखटाने का हक होगा की नहीं, इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट व व्यवहारिक नीति सामने नहीं आयी है।

इस व्यवसाय में मोटी रकम वसूलने वाले डॉक्टर, दलाल, क्लीनिक मालिक दम्पति से लिये जाने वाले पैसे का बड़ा हिस्सा आपस में बांट लेते हैं और सरोगेट को बहुत ही कम पैसा हाथ लगता है, जिस पर लगाम कसने सम्बन्धी सरकार की कोई ठोस कदम उठाने की इच्छा दिखाई नहीं देती है। यह स्थिति उस समय और भी गंभीर बन जाती है जब कुछ नारीवादी अथवा इस खरीद-फरोख्त से लाभलेने वाले इस बहस को महिला के सामाजिक उत्पीड़न, श्रम के शोषण, घरेलू काम-काज में हिंसा, वेश्यावृत्ति के कारोबार का हवाला देकर इसकी परोपकारी व्याख्या कर सही ठहराते हैं। तकनीकी विकास का यह दुरुपयोग दिखता है कि यदि व्यवस्था मानव विरोधी है तो तकनीकी विकास भी हाशिये के जनगण के लिए वरदान नहीं अभिशाप बन कर आता है। सरोगेसी की धारणा अपने आप में न केवल अप्राकृतिक व मानवाधिकार विरोधी है बल्कि महिला व बच्चे के शोषण पर टिकी हुई है। नवजात शिशु अपंग है, किसी लाइलाज रोग का शिकार है, मनचाहा रंग नहीं है, सरोगेसी के दौरान दम्पति में तलाक हो गया और बच्चे को लेने के लिए कोई तैयार नहीं है या गर्भावधि के दौरान दम्पति पत्नी मां बनने जा रही है, संभावित माता-पिता का मानस बदल गया है, इत्यादि स्थितियों में बच्चे की दुर्दशा का अनुमान लगाया जा सकता है। उसके नागरिक अधिकार निर्मम तरीके से कुचल जाते हैं। ऐसे में सरोगेट महिला की कठिनाइयां और बढ़ जाती हैं।

जब हम इसके नैतिक पहलुओं की बात करते हैंतो नैतिकता की इस बुनियादी शर्त को नजरंदाज कर देते हैं कि नैतिकता के मूल में व्यक्ति की चयन की आजादी और इच्छा-स्वातंत्र्य अंतर्निहित रहती हैं। इस दृष्टि से सरोगेसी किसी भी रूप में नैतिक नहीं है क्योंकि जो भी महिला सरोगेट बनने की सहमति देती है वह गरीब, शोषित व निम्न तबके की महिला है जिसकी मजबूरी व बाध्यता ही 'सहमति' का आवरण ओढ़कर आती है। संपन्न और अभिशप्त के बीच समझौते में कौन खोता है और कौन पाता है, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। क्या शिशु जन्मने में होने वाली कठिनाइयों को महज पचास हजार-लाख रुपए देकर मोल अदा किया जा सकता है? पूरी प्रकिया में मां व बच्चा कहीं प्राथमिकता में नहीं हैं। सरोगेसी में पुरुष को कहीं कुछ भी झेलना अथवा जोखिम नहीं उठाना पड़ता है। सरोगेसी जिस पूंजीवादी व्यवस्था का और स-पुत्र है वह मनुष्य से पहले मुनाफा, समाज से पहले बाजार, आवश्यकता से पहले लाभ के मूलमंत्र पर घूमती है। जहां व्यक्ति की मान-मर्यादा, पद-प्रतिष्ठा, सब कुछ पैसे से तय होता है, वहां नैतिकता की बात करना एक तरह का मखौल है। पैसा ही नैतिक है, मूल्य है जिसका आसान शिकार महिला होती है।

सरोगेसी का एक रुचिकर पहलू यह भी है कि नि:संतान दम्पति में यदि महिला का अण्डाणु अनुर्वर है तो उसे अन्य महिला से लेने में कोई परेशानी नहीं है। यह अन्य महिला स्वयं सरोगेट हो सकती है या) दानदाता भी हो सकती है। इस स्थिति में क्योंकि शुक्राणु दम्पति पुरुष के ही होते हैं इसलिए कोई आपति नहीं होती है। किन्तु यदि पुरुष के शुक्राणु अनुर्वर हैं तो मामला पेचीदा बन जाता है। अन्य पुरुष के शुक्राणु से पैदा हुआ बच्चा स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रक्त की शुद्धता दांव पर है। दम्पति पत्नी की यदि सरोगेसी की प्रक्रिया में कोई भागीदारी नहीं है तो उसका बच्चे के साथ सहज भावात्मक लगाव भी नहीं हो पाता है जिसका नकारात्मक प्रभाव बच्चे के विकास व व्यक्तित्व निर्माण पर पड़ता है। इस वैकल्पिक मातृत्व के व्यवसाय में महिला चाहे दम्पति के रूप में हो या सरोगेट के रूप में, कीमत वही चुकाती है। पुरुष, तंत्र व लाभांवित होने वाली जमात किसी भी स्तर पर कुछ नहीं खोती है। महिला अपने स्वास्थ्य से लेकर सम्मान तक सब कुछ खो देने की कीमत चुकाती है। सरोगेसी के दौरान वह जिस मनोविज्ञान व भावनाओं से गुजरती है वहां मातृत्व का सुख भी बेचा जा रहा है। सरोगेट जब पुन: अपने पारिवारिक-सामाजिक जीवन में लौटती है तो वह जिस अपमान, हेय दृष्टि व बेइज्जती को झेलने के लिए अभिशप्त है उसकी क्षतिपूर्ति क्या देकर की जा सकती है?

यदि सरकार चाहती तो इस प्रकृति विरोधी शोषणकारी कृत्य पर पूरी तरह से अकुंश लगा सकती थी किन्तु ऐसा तभी होता जब वह महिला को इस पुनरुत्पादन के उद्योग के दलदल से निकालने की गंभीर इच्छा-शक्ति रखती हो। भाजपा सरकार जिस मनुवादी आदर्शों की बुनियाद पर खड़े विषमता पीड़ित सामाजिक तंत्र और चातुर्वर्णयं व्यवस्था को ईश्वरीय न्याय बताती है उसमें महिला सरोगेट तो बन सकती है किन्तु इंसानी जीवन जीने का सामाजिक परिवेश उसके जीवन का यथार्थ नहीं बन सकता।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सरोगेसी (नियमन) विधेयक, 2016, 2019 एवं 2021
2. भारत सरकार द्धारा प्रस्तुत सरोगेसी बिल, जिसमें वाणिज्यिक सरोगेसी पर रोक और केवल परोपकारी (Altruistic) सरोगेसी की अनुमति का प्रावधान है।
3. सहायक प्रजनन तकनीक (ART) विधेयक, 2008 व 2021
4. शुलामिथ फायरस्टोन, सिल्विया फेडेरिची और भारतीय नारीवादी चिंतकों (उदा. वंदना शिवा, कमला भसीन) के लेखन, जिनमें महिला-शरीर के शोषण व पूंजीवादी उपयोग पर विमर्श मिलता है।
5. फ्रेडरिक एंगेल्स की पुस्तक *"The Origin of the Family, Private Property and the State"* (परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति) कृ जिसमें 'रक्त की शुद्धता' और उत्तराधिकार आधारित पितृसत्ता की ऐतिहासिक जड़ें बताई गई हैं।
6. *Planning Commission Report (2012)* - भारत में सरोगेसी उद्योग और गरीब महिलाओं की भागीदारी पर आंकड़े।
7. मीडिया रिपोर्ट्स : *The Hindu, Indian Express, Down to Earth, Economic & Political Weekly (EPW)* में सरोगेसी पर नियमित आलेख प्रकाशित हुए हैं।
8. *Baby Manji Yamada v. Union of India (2008)*-सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय, जिसने भारत में सरोगेसी पर बहस को जन्म दिया।
9. *Jan Balaz v. Anand Municipality (2009)* - गुजरात हाईकोर्ट का केस, जिसमें सरोगेसी से पैदा बच्चे की नागरिकता पर प्रश्न उठा।